183/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 183/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

17—01—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री ओम भाटिया क0लि0 उपस्थित है। उन्हे सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि श्री ओम भाटिया का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2016 के द्वारा 8 बिन्दुओ की सूचना चाही गयी थी जो उसे उनके कार्यालय के पत्र सं0 4920 दिनांक 16.11.16 द्वारा निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवा दी गयी थी अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः—

1. कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का पत्रांक 2928 दिनांक 02.09.16 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति पंजिका का क्रमांक नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. उपरोक्त पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. पत्र प्राप्ति से इस पत्र/सू.अ. का आवेदन का जबाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गई है उस कार्य की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
4. तत्कालीन तहसीलदार (राजस्व) श्री सांवरमल रेगर द्वारा इस्तगासा संख्या 48/15 स्टेट जरिये सहायक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) श्रीगंगानगर बनाम सुभाष चन्द्र गोयल में दावा दायरी से आज तक विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित लिपि।
5 सरकार द्वारा पेश इस्तगासा में न्यायालय में ए.पी.पी. साहब द्वारा पैरवी करने पर तत्कालीन तहसीलदार साहब श्री सांवरमल जी द्वारा प्राईवेट वकील इस प्रकरण में जिस अधिकारी की अनुमति से नियुक्त कर सकता है उस अधिकारी व पद का नाम व विभागीय नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. उपरोक्त परिवाद में प्राईवेट अधिवक्ता नियुक्त न करने का प्रावधान किसी अधिनियम में न होने की अवस्था में श्रीमान तहसीलदार सांवरमल जी रेगर द्वारा जिस आश्य व उदेश्य से जिस आदेश व नियम के अन्तर्गत श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ व दुर्गाप्रसाद जी को प्रकरण में पैरवी करने हेतू नियुक्त किया। उसकी सूचना व नियम व आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. प्रकरण में दिनांक 13.05.2016 के पश्चात पेशी दि0 02.07.16 दिनांक 06.08.16 व 06.09.16 को सरसरी सबूत व जबाब प्रार्थना पत्र का देने हेतू न्यायालय में जिस राजकीय कार्य के कारण उपस्थित न होने व प्राईवेट वकील के जरिये उपस्थित जिस नियम के अन्तर्गत हुए है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. वर्तमान में प्रकरण में जो तिथि जिस कार्य हेतू अदालत में नियत है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर 183/2016

अपीलार्थी श्री राधेश्याम ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से 8 बिन्दुओ की सूचना चाही थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही करवायी गयी है जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 4941 दिनांक 22.12.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा चाही गई 8 बिन्दुओ की सूचना उसे रजिस्टर्ड पत्र संख्या 4920 दिनांक 16.11.16 द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी थी। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 4920 दिनांक 16.11.16 से निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:—

1. पत्र क्रमांक 2928 दिनांक 02.09.16 के इस कार्यालय में पहुंचने की दिनांक 08.09.16, प्राप्ति पंजिका क्रमांक 2501 दिनांक 08.09.16 (प्रमाणित प्रति निर्धारित शुल्क/टिकट जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
2. तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
3. इस पत्र के संबंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के द्वारा पत्र क्रमांक 4918 दिनांक 28.10.16 से श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर को अपना रिपोर्ट भिजवाई गई तथा आपको उसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4919 दिनांक 28.10.16 द्वारा भिजवाई गई। यदि आप इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहते है तो निर्धारित शुल्क/टिकट जमा करवा कर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
4. तत्कालीन तहसीलदार श्री सांवरमल रेगर द्वारा इस्तगासा संख्या 48/15 स्टेट जरिये सहायक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) श्रीगंगानगर बनाम सुभाष चन्द्र गोयल न्यायिक मामला है जो न्यायालय में विचाराधीन है इसमें विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की नकल संबंधित न्यायालय की पत्रावली से प्राप्त कर सकते है।
5 प्राईवेट वकील की नियुक्ति श्री सांवरमल रेगर द्वारा नियुक्ति की गई है इस प्रकार की कोई सूचना इस कार्यलय में उपलब्ध नही है।
6. उपरोक्त प्रकरण में प्राईवेट अधिवक्ता की नियुक्ति की गई है ऐसा कोई पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।
7. उपरोक्त प्रकरण में कार्यवाही तत्कालीन तहसीलदार श्री सांवरमूल रेगर द्वारा की जा रही है, क्यों कि सांवरमल रेगर का पदस्थापन वर्तमान में यहा नही है जिस कारण राजकीय कार्य का विवरण इस कार्यालय में उपलब्ध नही है जिसकी वजह से स्वयं उपस्थित नही आये। अतः श्री सांवरमल रेगर के पदस्थापन स्थान से ही ये सूचना मांगा जाना उचित होगा।
8. वर्तमान में प्रकरण में आगामी तारीख पेशी एवं पेशी पर की जाने वाली कार्यवाही न्यायालय से संबंधीत है। अतः आप संबंधीत न्यायालय से सूचना प्राप्त करें।

नोटः—इस प्रकरण में आप द्वारा वांछित प्रमाणित प्रतियां (जो इस कार्यालय में उपलब्ध है।) निर्धारित शुल्क/टिकट जमा करवा कर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
183/2016

अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2016 के द्वारा कुल 8 बिन्दुओ की सूचना चाही थी जिसे लोक सूचना अधिकारी ने अपने रजिस्टर्ड पत्र सं0 4920 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा बिन्दुवार उत्तर भिजवाया गया है जो सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त सूचनाओ के संबंध में अपीलार्थी को यह भी सूचित किया गया है कि जो अभिलेख उनके कार्यालय में उपलब्ध है वह उसकी निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी को चाहिए कि दिनांक 16.11.16 के उत्तर में उल्लेखित बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना के संबंध में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 17.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर